प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रलिम्सि के लयि:

पीएमएमवीवाई, आधार, महलिाओं से संबंधति अन्य योजनाएँ।

मेन्स के लयि:

महलिाओं से संबंधति मुद्दे, स्वास्थ्य, सरकारी नीतयिाँ और हस्तक्षेप, पीएमएमवीवाई के लाभ तथा इस योजना की वशिेषताएँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने स्पष्ट कयिा है कि **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** (PMMVY) के तहत एकल और परत्यिक्त माताओं को शामलि करने के लयि उनके पतयिों का **आधार** अनविार्य नहीं है।

आधार:

- आधार जो कि **12 अंकों की एक वशिष्टि पहचान (UID) संख्या** है, **भारतीय वशिष्टि पहचान प्राधकिरण (UIDAI)** द्वारा भारत के सभी नविासयिों के लयि अनविार्य है।
- **UIDAI आधार अधनियिम 2016** के प्रावधानों के तहत **12 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनकि्स और सूचना प्रौद्योगकिी मंत्रालय** के अधकिार क्षेत्र में स्थापति एक वैधानकि प्राधकिरण है।
- UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2009 में **योजना आयोग** के तत्त्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

- यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जसि 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़लिों में लागू कयिा गया है।
- यह एक केंद्र प्रायोजति योजना है, जसिका क्रयिान्वयन **महलिा एवं बाल वकिास मंत्रालय** द्वारा कयिा जा रहा है।
- इसके तहत पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने और मज़दूरी के नुकसान की आंशकि भरपाई हेतु गर्भवती महलिाओं के बैंक खाते में सीधे धन का भुगतान कयिा जाता है।

योजना के लाभ:

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से नगिरानी की जाती है।
- PMMVY-CAS एक वेब आधारति सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की स्थति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, इसके परणािमस्वरूप लाभार्थी की कसिी भी शकियत का शीघ्र, जवाबदेही के साथ बेहतर तरीके से नविारण होता है।

लक्षति लाभार्थी:

- वे महलिाएँ जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनकि उपक्रमों में नयिमति रोज़गार में संलग्न हैं तथा कसिी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं, को छोड़कर सभी गर्भवती महलिाएँ एवं स्तनपान कराने वाली माताएँ (Pregnant Women and Lactating Mothers- PW&LM) इस योजना के लयि पात्र हैं।
- ऐसी सभी पात्र गर्भवती महलिाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ जन्हिोंने परवार में पहली संतान के लयि 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद

गर्भधारण किया हो।

योजना के तहत प्राप्त लाभ:

- लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर तीन किस्तों में 5,000 रुपए का नकद लाभ प्राप्त होता है:
  - गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण।
  - प्रसव-पूर्व जाँच।
  - बच्चे के जन्म का पंजीकरण एवं परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करना।
- पात्र लाभार्थियों को **जननी सुरक्षा योजना** (JSY) के तहत नकद प्रोत्साहन भी मिलता है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

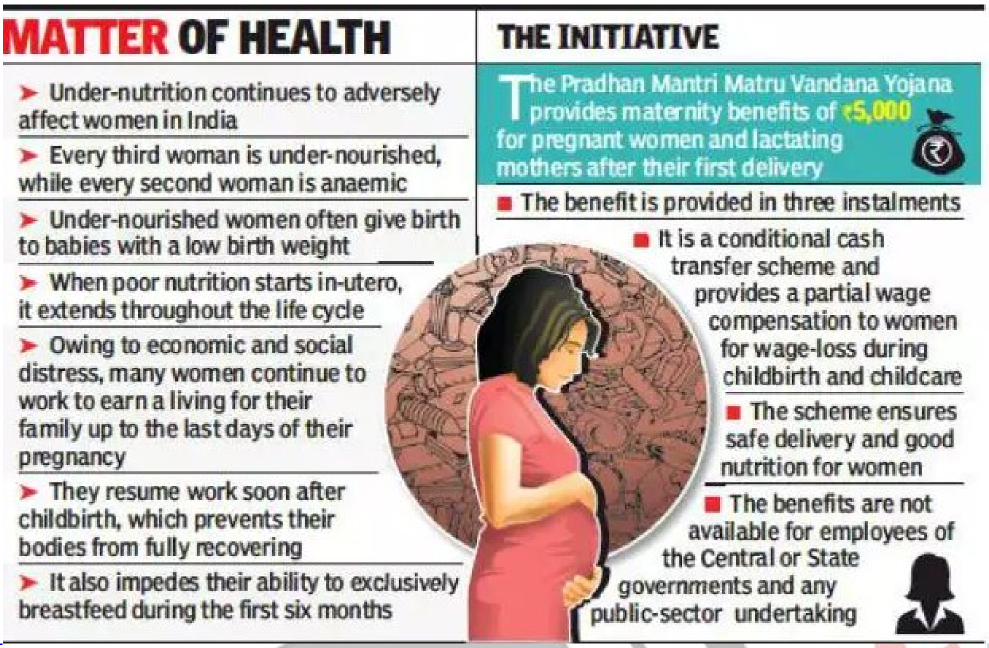

//

महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाएँ:

- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना।
- केरल में कुदुम्बश्री।
- पोषण अभियान।
- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-matru-vandana-yojana-3